न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/43/2024	2024/127	14.11.2024	18.12.2024

1. घनश्याम पुत्र कान्तीचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कठूमर तह0 कठूमर जिला अलवर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर तह0 कठूमर जिला अलवर राज०।

— रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध नामा0 संख्या 4367 निर्णय दिनांक 09.06.2015 ग्राम कठूमर तह0 कठूमर जिला अलवर।

उपस्थितः—

01—श्री मलचन्द चौधरी —वकील अपी0

02—श्री राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 4367 निर्णय दिनांक 09.06.2015 ग्राम कठूमर तह0 कठूमर जिला अलवर, तहसीलदार कठूमर द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आलौच्य आज्ञा दिनांक 09—06—2015 नामांतकरण संख्या 4367 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर रेस्पाडेन्ट द्वारा मिन अपीलान्टा के पीछे से बालाबाला स्वीकार किया गया है जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 15—10—2024 को हुई जबकि मिन अपीलान्ट ने इंतकाल की नकल प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 16—10—2024 को प्राप्त हुई जिसके अवलोकन से जानकारी हुई कि उक्त इंतकाल गैर मुमकिन आबादी के स्थान पर गैरमुमकिन आबादी सिवायचक में स्वीकार किया गया है जिस पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 20—10—2024 को श्वकील साहब से सम्पर्क कर कानूनी सलाह ली तो अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी। इस प्रकार यह अपील दिनांक 16—10—2024 से अंदर मियाद पेश है। उक्त इंतकाल विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है, जिसके लिए कोई कानूनन मियाद की आवश्यकता नही होती है, फिर भी रफाए हुज्जत अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है। अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 1099 रकबा 0.9500 हैक्टेयर वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज० का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। मिन अपीलान्ट ने उक्त आराजी में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु तहसीलदार साहब कठूमर जिला अलवर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जिस पर अपीलान्ट की खातेदारी अभिघृति में कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने अधूचिना संख्या एफ 6 (6) राज—6/92 पार्ट/4 दिनांक 16—01—2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पत्र क्रमांक टीआरए/भू.रू./2015/520 दिनांक 21—05—2015 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1099 रकबा 0.9500 हैक्टेयर वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज० में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर दी। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार साहब द्वारा दिनांक 09—06—2015 नामांतकरण सख्या 4367 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर जिसके जरिये गैर मु०आबादी के स्थान पर गैरमुमकिन आबादी सिवायचक बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, जो कतई गलत है। जबकि तहसीलदार साहब को उक्त इंतकाल गैर मु०आबादी में स्वीकृत करना चाहिए था। तहत

अ। जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (रा०)

अदालत द्वारा क्रमांक टीआरए/भू.रू./2015/520 दिनांक 21—05—2015 का ध्यान पूर्वक अवलोकन नही किया है तथ ना ही अपनी आज्ञा पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया जबकि नोटिस जारी कर अपीलान्ट को तलब कर बुलाना चाहिए था और सुनना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध अपना निर्णय पारित किया है जो निर्णय निर्णय की तारीफ में नही आता है, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। विधि विरूद्ध उपरोक्त इंतकाल स्वीकार करने से मिन अपीलान्ट के हकूक जायल होने का पूरा पूरा अंदेशा है। इसलिए इंतकाल संशोधित कर गैर मु०आबादी में स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अदालत तहत तहसीलदार कठूमर जिला अलवर की आज्ञा दिनांक 09—06—2015 बाबत इंतकाल संख्या 4367 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज० संशोधित कर गैर मु०आबादी में स्वीकार कराये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2015 के विरूद्व दिनांक 14.11.2024 को पेश की गयी है जो करीब 09 वर्ष 05 माह 05 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन—मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर (भू.अ.) द्वारा अपी0 आ0ख0 नं0 1099 रकबा 0.90 है0 1500 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु तहसीलदार कठूमर को आवेदन किया गया। तहसीलदार कठूमर ने आदेशांक टीआरए/भू0रू0/2015/520 दि0 21.05.2015 के द्वारा आ0ख0नं0 1099 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम कठूमर में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर दी गई। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार कठूमर द्वारा नामा0 सं0 4367 दि0 09.06.2015 दर्ज करते हुए नामा0 के कॉलम सं0 9 में गैर—मुमकिन आबादी सिवायचक दर्ज कर नामा0 स्वीकार किया गया, जो विधिविरूद्ध है। जबकि गैर—मुमकिन आबादी दर्ज किया जाना था। अतः अपील अपी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर का नामा0 सं0 4367 दि0 09.06.2015 निरस्त किया जाता है। अधी0 न्याया0 को निर्णय की प्रति इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश के मुताबिक गैर—मुमकिन आबादी का नामान्तकरण अपीलाण्ट के नाम नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)